भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2545
05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि वानिकी को बढ़ावा देना

2545. श्री चरनजीत सिंह चन्नीः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कृषि आय बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण, विशेष रूप से मृदा स्वास्थ्य, कार्बन पृथक्करण और जैव विविधता के साधन के रूप में कृषि वानिकी को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हाँ, तो पंजाब में वर्तमान में संचालित राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके उद्देश्य और दायरा क्या है तथा किसानों को प्रदान की जाने वाली सहायता और प्रोत्साहन (वित्तीय या तकनीकी) का ब्यौरा क्या है और पंजाब में अब तक कृषि वानिकी के अंतर्गत सम्मिलित कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) कितना है और कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए कौन सी एजेंसी या प्राधिकरण जिम्मेदार है;

(ग) अगले पाँच वर्षों में पंजाब में इन योजनाओं के अंतर्गत कृषि वानिकी के विस्तार का लक्ष्य क्या है तथा किसानों की आय और पर्यावरणीय लाभों में अनुमानित वृद्धि कितनी है; और

(घ) पंजाब में बीज की गुणवत्ता, कीट प्रबंधन और कृषि वानिकी में वृक्षारोपण में वृद्धि का वास्तविक समय में पता लगाने में सहायता के लिए किसी प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ सहयोग का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) सरकार कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023-24 से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पी.एम.आर.के.वी.वाई.) के अंतर्गत कृषि वानिकी की केंद्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रही है। इससे पूर्व, पंजाब राज्य सहित देश भर में वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक कृषि वानिकी उप-मिशन (एस.एम.ए.एफ.) के अंतर्गत कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया गया था। कृषि वानिकी एग्रोइकॉलजी को बेहतर बनाती है, मिट्टी के ऑर्गेनिक कार्बन में सुधार करती है और इसमें कार्बन अवशोषण की उच्च क्षमता होती है। कृषि वानिकी हरित आवरण बढ़ाकर कृषि परिदृश्य में कम होती विविधता को संरक्षित करती है और साथ ही, प्रदूषण को कम करने एवं जैव विविधता के संरक्षण में भी सहायता करती है।

(ख) से (घ) कृषि वानिकी उप-मिशन के तहत, पंजाब को 10.3595 करोड़ रुपये जारी किए गए और वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक 54.37 लाख पेड़ लगाकर 9,808.32 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया। वर्तमान में पंजाब राज्य आर.के.वी.वाई. के तहत कृषि वानिकी घटक को कार्यान्वित नहीं कर रहा है। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा यह जानकारी दी गई है कि वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग, पंजाब सरकार वर्ष 2022-23 से ग्रीन पंजाब मिशन के तहत "कृषि वानिकी के माध्यम से फसल विविधीकरण" की राज्य योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य कृषि वानिकी को बढ़ावा देकर गेहूं और धान के वर्तमान कृषि फसल चक्र में विविधता लाना है जिसके लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत, वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक लगभग 10,130 हेक्टेयर क्षेत्र को कृषि वानिकी के तहत कवर किया गया है।

इसके अतिरिक्त, पंजाब सरकार के वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग का लक्ष्य वर्ष 2026-27 से अगले 8 वर्षों के दौरान "जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) परियोजना" के अंतर्गत लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि को कृषि वानिकी के अंतर्गत कवर करना है। यह परियोजना पर्यावरणीय सततता और सामाजिक-आर्थिक विकास, दोनों को ध्यान में रखेगी। प्रमुख अपेक्षित परिणामों में कृषि वानिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से वन और वृक्ष आवरण में पर्याप्त वृद्धि शामिल है, जिससे किसानों की आय और आजीविका में सुधार होगा, कार्बन अवशोषण में वृद्धि होगी और टिंबर के स्थायी संसाधनों के साथ स्थानीय उद्योगों को समर्थन मिलेगा।

राज्य कृषि वानिकी और कीट प्रबंधन के लिए नई और अधिक उत्पादक पौध सामग्री पर अनुसंधान हेतु वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना से तकनीकी सहयोग ले रहा है। राज्य ने कृषि वानिकी रोपण की मैपिंग करने के लिए पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर, लुधियाना को एक परियोजना की जिम्मेदारी भी सौंपी है।

*****